संख्या– 1212/9-1-2016-247 सा/15

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम।

(4) समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक 02/5 अप्रैल,2016

विषयः–दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1/2015/जी–2–23/दस–2015–301/,टीसी, दिनांक 16 फरवरी, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक की दरों में (वर्तमान महगाई के परिप्रेक्ष्य में) वृद्धि करते हुए समूह "ग" के कर्मचारियों के लिए रू 200.00 प्रतिदिन तथा समूह "घ" कर्मचारियों के लिए रू 170.00 प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत समूह "ग" के दैनिक वेतन कर्मचारियों को रू 200.00 प्रतिदिन एवं समूह "घ" कर्मचारियों को रू 170.00 प्रतिदिन पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस पर आने वाला व्यय भार निकायों द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। शासन स्तर से इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2.–समस्त महाप्रबन्धक,जलकल विभाग/जल संस्थान,उ0प्र0।

3–नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त (सामान्य)अनुभाग–2

4– बेवमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।